| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/एल.आर./5839/2004/झालावाड<br>रतीराम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15-06-2018 | **एकल पीठ**<br>**श्री महावीर सिंह, सदस्य**<br><br>**उपस्थिति :-**<br>श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी<br>श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष<br><br>**निर्णय**<br><br>हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम,1956) की धारा 84 सहपठित धारा 9, के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर, झालावाड द्वारा दिनांक 01-10-2002 को प्रकरण संख्या 49/प्रर्थना पत्र/02 सरकार बनाम हजारी लाल वगैरा में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी।<br><br>अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की कि जिला कलक्टर, झालावाड के आदेश दिनांक 1-10-2002 के विरुद्ध यह निगरानी दिनांक 8-12-2004 को काफी देरी से प्रस्तुत की गई और देरी के कारण भी संतोषजनक नहीं हैं, अतः निगरानी मियाद के बिन्द पर ही खारिज योग्य है।<br>प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि जिला कलक्टर के आदेश से हमारे प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया था कि प्रकरण से संबंधित पत्रावली अन्य प्रकरण में राजस्व मण्डल भिजवाई गई है। इस आदेश पर प्रार्थी द्वारा इस आशय से कार्यवाही नहीं की गई कि माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली वापिस आयेगी तब पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत कर अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लेंगे, अतः ये देरी सद्भावना पूर्वक हुई है। मियाद को कंडोन करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, अतः निगरानी में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि हजारीलाल, हीरालाल के खिलाफ जिलाधीश, झालावाड के न्यायालय में सीलिंग कार्यवाही चली थी जिसमें | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/एल.आर./5839/2004/झालावाड<br>रतीराम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दिनांक 25-4-1979 के द्वारा 27-40 व 27-40 मानक एकड प्रत्येक से अधिग्रहण करने के आदेश दिए थे। प्रार्थीगण ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में से 34 बीघा 6 बिस्वा मूल असेसी के क्रय की थी और इसका नामांतरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका था। प्रार्थीगण के खाते की आराजी 379 रकबा 34 बीघा 6 बिस्वा जो जिलाधीश ने दिनांक 29-1-85 को मूल असेसी की ओर से अधिग्रहण करने के आदेश दिए थे, गलत हैं क्योंकि आराजी मूल असेसी की थी और भारहीन भूमि की संज्ञा में नहीं आती है। माननीय मण्डल ने दिनांक 19-6-1991 के द्वारा प्रार्थी की अपील को खारिज किया जिसके विरुद्ध नजरसानी प्रस्तुत की गई और इसमें माननीय मण्डल ने निर्णय दिनांक 21-8-1995 से निर्देश दिया कि भूमि धाराकें से पहले भारमुक्त भूमि अधिग्रहित की जाये। इस प्रकार से निर्णय होने से पूर्व ही प्रार्थीगण की खरीद की गई आराजी को कलक्टर के आदेश दिनांक 25-5-1993 के द्वारा एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-1993 के द्वारा प्रार्थीगण की आराजी कुल किता 12 रकबा 184-05-00 को अधिग्रहण कर दिनांक 31-5-193 से सिवाय चक कर दिया। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 21-8-1995 की पालना में पत्रावली जिला कलक्टर के न्यायालय में चली जिसमें जिला कलक्टर ने हजारीलाल व हीरालाल की भूमि को अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिनांक 4-2-1997 को जारी किए और नामांतरकरण संख्या 216 स्वीकृत किया गया किन्तु पूर्व में जो नामांतरकरण संख्या 191 दिनांक 11-6-1993 को स्वीकृत किया गया, उसे निरस्त नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा नामांतरकरण संख्या 191 दिनांक 11-6-1993 से 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि को सरकारी सिवाय चक दर्ज किया था उसे पुनः प्रार्थी के खातेदार में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया था किन्तु इसे गलत प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। अतः मण्डल में निहित धारा 84 व धारा 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 1-10-2002 को निरस्त किया जाये और विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में पुनः प्रार्थी के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।<br><br>अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रकरण में माननीय मण्डल के स्तर पर पत्रावली संख्या | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/एल.आर./5839/2004/झालावाड<br>रतीराम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 71/2002 रामलाल बनाम रामेश्वर चली है और इसमें दिनांक 16-9-2008 को निर्णय हो चुका है। अतः पत्रावली मण्डल के स्तर से तलब करने पर, जिला कलक्टर के न्यायालय में मूल पत्रावली उपलब्ध ही नहीं रही थी और माननीय मण्डल को रिकार्ड भिजवाया जा चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय किस आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यपरक है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से धारा 9, भू राजस्व अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निगरानी खारिज की जाए।<br><br>अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि जिला कलक्टर, झालावाड के आदेश दिनांक 1-10-2002 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी दिनांक 8-12-2004 को काफी देरी से प्रस्तुत की गई है, किन्तु देरी के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5, मियाद अधिनियम में अंकित किए गए हैं और इसके साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सशपथ होने से, निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रकरण में परीक्षण से सुस्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर, झालावाड के न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि "प्रार्थीगण की क्रय शुदा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जा कर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किया जाये ताकि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21-8-1995 में दिए निर्देशों की पालना हो सके।" जिला कलक्टर, झालावाड ने अपने आदेश दिनांक 1-10-2002 में इस प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि "माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण संख्या निग/एल.आर./71/2002/झाला. 20-8-2002 में तलब की जाने पर अभिलेखागार द्वारा दिनांक 14-8-2002 से मण्डल को भिजवाई जा चुकी है। चूँकि मूल पत्रावली ही मण्डल को भेजी जा चुकी है, अतः इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।" हमारे द्वारा जॉच करने पर पाया गया है कि मण्डल के स्तर पर प्रकरण संख्या 71/2002 अनुवानी रामलाल बनाम रामेश्वर चला है, जिसमें जिला कलक्टर ने मूल पत्रावली को मण्डल को भिजवाया | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/एल.आर./5839/2004/झालावाड<br>रतीराम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जाना बताया है। इस प्रकरण को माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 16-09-2008 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि जब जिला कलक्टर के समक्ष मूल पत्रावली ही उपलब्ध नहीं थी तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं था। अतः इस प्रकार की परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है। अतः निगरानी में किसी प्रकार का सार नहीं होने से निगरानी **खारिज** की जाती है। चूँकि प्रकरण संख्या 71/2002 अनुवानी रामलाल बनाम रामेश्वर मण्डल के स्तर से निस्तारित हो चुका है, अतः प्रार्थीगण को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे जिला कलक्टर के न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिला कलक्टर, झालावाड के समक्ष यदि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वे माननीय मण्डल के पूर्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नियमानुकूल निर्णय प्रार्थना पत्र पर पारित करेंगे।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(महावीर सिंह)**<br>**सदस्य** | |